

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 39]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 25 सितम्बर 2020—आश्विन 3, शक 1942

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सुनिल प्रसाद आत्मज स्व. सीता राम, उम्र 48 वर्ष, निवासी-क्वा. नं.-149/सी, रूआबांधा सेक्टर, सिविक सेंटर, भिलाईनगर, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ। यह कि मेरी पत्नि भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई के मेडिकल विभाग में कार्यरत है। मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा नाम सुनिल कुमार तथा मेरी पत्नि के सर्विस रिकार्ड में सुनिल कुमार प्रसाद दर्ज है, जो कि त्रुटिपूर्ण है, जबकि मेरा वास्तविक नाम सुनिल प्रसाद है जो कि मेरे अन्य दस्तावेजों में दर्ज है। मेरे वास्तविक नाम को मेरी पत्नि के सर्विस रिकार्ड में व मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब मुझे सुनिल प्रसाद आत्मज स्व. सीता राम के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

सुनिल कुमार
सुनिल कुमार प्रसाद
पिता-स्व. सीता राम
निवासी-क्वा. नं.-149/सी,
रूआबांधा सेक्टर, सिविक
सेंटर, भिलाईनगर,
तह.व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

सुनिल प्रसाद
पिता-स्व. सीता राम
निवासी-क्वा. नं.-149/सी,
रूआबांधा सेक्टर, सिविक
सेंटर, भिलाईनगर,
तह.व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, वसीम शेख आत्मज श्री अब्दुल सलीम शेख, उम्र 46 वर्ष, निवासी-क्वा. नं.- 3/सी, सड़क नं.-08, सेक्टर-02, भिलाई, तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.) का हूँ। यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूँ। मेरे सर्विस रिकार्ड व अन्य समस्त दस्तावेजों में मेरे पिता का नाम सलीम शेख दर्ज है जो कि अपूर्ण है, जबकि मेरे पिता का पूर्ण नाम अब्दुल सलीम शेख है, जो उनके समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों/दस्तावेजों में दर्ज है। मैं अपने सर्विस रिकार्ड व अन्य समस्त अभिलेखों/दस्तावेजों में मेरे पिता के नाम को परिवर्तित कर पूर्ण नाम दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब मुझे वसीम शेख आत्मज श्री अब्दुल सलीम शेख के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

वसीम शेख
(Vaseem Shaikh)
पिता-सलीम शेख
(S/o-Salim Shaikh)
निवासी-क्वा. नं.- 3/सी,
सड़क नं.-08, सेक्टर-02, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

वसीम शेख
(Vaseem Shaikh)
पिता-श्री अब्दुल सलीम शेख
(S/o-Shri Abdul Salim Shaikh)
निवासी-क्वा. नं.- 3/सी,
सड़क नं.-08, सेक्टर-02, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सबिहा खान आत्मजा मोहम्मद अहमद, उम्र 32 वर्ष, निवासी-तालापारा-हुसैनी मस्जिद के पास, बिलासपुर, तहसील व जिला बिलासपुर (छ. ग.) की हूँ। यह कि पूर्व में मेरा नाम सबिहा बेगम आत्मजा मोहम्मद अहमद था तथा मेरी जन्म तिथि 09-06-1987 है। मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा यही नाम दर्ज है। मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम सबिहा खान रख ली हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ।

अतः अब मुझे सबिहा खान आत्मजा मोहम्मद अहमद के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

सबिहा बेगम
पिता-मोहम्मद अहमद
निवासी-तालापारा-हुसैनी मस्जिद
के पास, बिलासपुर,
तह. व जिला-बिलासपुर (छ. ग.)

नया नाम

सबिहा खान
पिता-मोहम्मद अहमद
निवासी-तालापारा-हुसैनी मस्जिद
के पास, बिलासपुर,
तह. व जिला-बिलासपुर (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, Prem Narayan Maheshwari आत्मज Shri Jamuna Das Maheshwari, उम्र 76 वर्ष, निवासी-41/816, आर. डी. ए. कालोनी, नूतन स्कूल के पास, कालीबाड़ी, टिकरापारा, रायपुर तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.) का हूँ। यह कि पूर्व में मेरा नाम Prem Narayan Chandak था। मैंने Nippon India Ltd. के अंतर्गत Growth fund-Growth में निवेश किया जिसमें मेरा लघु नाम P. N. Chandak तथा Franklin Templeton के अंतर्गत Templeton India Equity Income fund के रिकार्ड में Prem Narayan Chandak दर्ज है। मैंने अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम Prem Narayan Maheshwari रख लिया हूँ मेरा परिवर्तित यह नया नाम मेरे समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों/दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब मुझे Prem Narayan Maheshwari आत्मज Shri Jamuna Das Maheshwari के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

P. N. Chandak
Prem Narayan Chandak
पिता- Shri Jamuna Das Maheshwari
निवासी-41/816, आर. डी. ए.
कालोनी, नूतन स्कूल के पास,
कालीबाड़ी, टिकरापारा, रायपुर,
तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.)

नया नाम

Prem Narayan Maheshwari
पिता- Shri Jamuna Das Maheshwari
निवासी-41/816, आर. डी. ए.
कालोनी, नूतन स्कूल के पास,
कालीबाड़ी, टिकरापारा, रायपुर,
तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, प्रकाश चंद्र पात्रो आत्मज श्री अजीत पात्रो, निवासी-एम. पी. हाउसिंग बोर्ड भिलाई, जामुल, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ। यह कि मेरे पुत्र के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा नाम प्रकाश पात्रो दर्ज है जो कि अपूर्ण है, जबकि मेरा पूर्ण नाम प्रकाश चंद्र पात्रो है। मैं अपने पुत्र के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में अपने नाम को परिवर्तित कर पूर्ण नाम दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब मुझे प्रकाश चंद्र पात्रो आत्मज श्री अजीत पात्रो के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

प्रकाश पात्रो
पिता-श्री अजीत पात्रो
निवासी-एम. पी. हाउसिंग बोर्ड,
भिलाई, जामुल,
तह. व जिला- दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

प्रकाश चंद्र पात्रो
पिता-श्री अजीत पात्रो
निवासी-एम. पी. हाउसिंग बोर्ड,
भिलाई, जामुल,
तह. व जिला- दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती मधुबाला ध. प. श्री मुकेश्वर प्रसाद, उम्र 54 वर्ष, निवासी-प्लॉट नंबर-74/10, पंचकुटी, मैत्री कुंज, पुलिस चौकी रोड, रिसाली, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ। यह कि मेरे पति के सर्विस रिकार्ड में व मेरे कुछ शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम मधुबाला देवी दर्ज है, मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम मधुबाला रख ली हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ।

अतः अब मुझे श्रीमती मधुबाला ध. प. श्री मुकेश्वर प्रसाद के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

श्रीमती मधुबाला देवी
पति- श्री मुकेश्वर प्रसाद
निवासी-प्लॉट नंबर-74/10,
पंचकुटी, मैत्री कुंज,
पुलिस चौकी रोड,
रिसाली, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

श्रीमती मधुबाला
पति- श्री मुकेश्वर प्रसाद
निवासी-प्लॉट नंबर-74/10,
पंचकुटी, मैत्री कुंज,
पुलिस चौकी रोड,
रिसाली, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, धनंजय पारधी आत्मज श्री रतन लाल पारधी, उम्र 40 वर्ष, निवासी-मकान नंबर-115/2, ग्राम-थनौद, अंजोरा, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ। यह कि मेरे कुछ शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा नाम धनंजय आ. रतन लाल, धनंजय कुमार पारधी तथा अन्य दस्तावेजों में धनंजय दर्ज है जो कि अपूर्ण है। मैंने अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम धनंजय पारधी रख लिया हूँ। मेरा परिवर्तित यह नया नाम मेरे समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय अभिलेखों व दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब मुझे धनंजय पारधी आत्मज श्री रतन लाल पारधी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

धनंजय, धनंजय कुमार पारधी
पिता- श्री रतन लाल
निवासी-मकान नंबर-115/2,
ग्राम-थनौद, अंजोरा,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

धनंजय पारधी
पिता- श्री रतन लाल पारधी
निवासी-मकान नंबर-115/2,
ग्राम-थनौद, अंजोरा,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, बानी कौर ओबेराय आत्मजा श्री परमजीत सिंग ओबेराय उम्र 18 वर्ष निवासी-बंगलो नंबर-143, वी. आई. पी. रोड, लॉ विस्टा अमलीडीह, रायपुर तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.) की हूँ। यह कि मेरे जन्म प्रमाण पत्र व पासपोर्ट में मेरा घरेलू नाम गेहना ओबेराय, गहना ओबेराय दर्ज है। मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम बानी कौर ओबेराय (Bani Kaur Oberoi) रख ली हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ।

अतः अब मुझे बानी कौर ओबेराय (Bani Kaur Oberoi) आत्मजा श्री परमजीत सिंग ओबेराय के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

गेहना ओबेराय,
गहना ओबेराय
(Gehna Oberoi)
पिता-श्री परमजीत सिंग ओबेराय
निवासी-बंगलो नंबर-143,
वी. आई. पी. रोड,
लॉ विस्टा अमलीडीह, रायपुर,
तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.)

नया नाम

बानी कौर ओबेराय
(Bani Kaur Oberoi)
पिता-श्री परमजीत सिंग ओबेराय
निवासी-बंगलो नंबर-143,
वी. आई. पी. रोड,
लॉ विस्टा अमलीडीह, रायपुर,
तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मिलन साहू आत्मज श्री नीलकंठ साहू उम्र 65 वर्ष, निवासी-ग्राम-भनेसर, वार्ड नं.-11, तहसील मस्तूरी, जिला बिलासपुर (छ. ग.) का हूँ। यह कि मेरा वास्तविक नाम मिलन साहू है जो कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व अन्य आवश्यक दस्तावेजों में दर्ज है, किन्तु मेरे पुत्र के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा नाम जोसफ दर्ज है तथा मैं इस नाम से भी जाना, पहचाना जाता हूँ। मैं अपने पुत्र के समस्त प्रमाण पत्रों व दस्तावेजों में अपने नाम को परिवर्तित कर वास्तविक नाम दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब मुझे मिलन साहू आत्मज श्री नीलकंठ साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

जोसफ
पिता-श्री नीलकंठ साहू
निवासी-भनेसर, वार्ड नं.-11,
तहसील-मस्तूरी,
जिल-बिलासपुर (छ. ग.)

नया नाम

मिलन साहू
पिता-श्री नीलकंठ साहू
निवासी-भनेसर, वार्ड नं.-11,
तहसील-मस्तूरी,
जिल-बिलासपुर (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, रूपसिंह साहू आत्मज श्री सुखी राम, उम्र 58 वर्ष, निवासी-मकान नं.-321, आर्य नगर, कोहका, वार्ड नं.-9, शीतला तालाब के पास, सुपेला, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ। मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा नाम रूपसिंह आ. सुखीत राम दर्ज है। मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूँ। मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम (Roop Singh, S/o- Sukhi Ram) दर्ज है। मेरे पिता का वास्तविक नाम सुखी राम (Sukhi Ram) है। मैं अपने नाम के साथ उपनाम “साहू” जोड़कर नया नाम रूपसिंह साहू आ. श्री सुखी राम रख लिया हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब मुझे रूपसिंह साहू (Roop Singh Sahu) आत्मज श्री सुखी राम (Shri Sukhi Ram) के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

रूपसिंह
(Roop Singh)
पिता-श्री सुखीत राम
(S/o- Shri Sukhit Ram)
निवासी-मकान नं.-321,
आर्य नगर, कोहका, वार्ड नं.-9,
शीतला तालाब के पास,
सुपेला, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

रूपसिंह साहू
(Roop Singh Sahu)
पिता-श्री सुखी राम
(S/o- Shri Sukhi Ram)
निवासी-मकान नं.-321,
आर्य नगर, कोहका, वार्ड नं.-9,
शीतला तालाब के पास,
सुपेला, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, NARESH KUMAR SHRIVASTAVA आत्मज SHRI MAHESH PRASAD SHRIVASTAVA, निवासी- WR-72, GANPATI, VIHAR COLONY BORSI, DURG, TEHSIL & DISTRICT DURG (C. G.), पिन 491001 का हूँ। यह कि मैं C. G. STATE CIVIL SUPPLIES CORP. LTD. RAJNANDGAON में कार्यरत हूँ। मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा नाम NARESH KUMAR आत्मज MAHESH PRASAD दर्ज है जो कि अपूर्ण है, जबकि मेरा व मेरे पिता का पूर्ण नाम Naresh Kumar Shrivastava S/o- Mahesh Prasad Shrivastava है जो कि मेरे सर्विस रिकार्ड में दर्ज है। मैं अपने पूर्ण नाम को, मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व अन्य दस्तावेजों/अभिलेखों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब मुझे Naresh Kumar Shrivastava आ. Shri Mahesh Prasad Shrivastava के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

NARESH KUMAR
पिता-SHRI MAHESH PRASAD
निवासी-WR-72, Ganpati
Vihar colony,
Borsi Durg,
Teh. & Distt.-Durg (C.G.)
Pin- 491001

नया नाम

NARESH KUMAR SHRIVASTAVA
पिता-SHRI MAHESH PRASAD SHRIVASTAVA
निवासी-WR-72, Ganpati
Vihar colony,
Borsi Durg,
Teh. & Distt.-Durg (C.G.)
Pin- 491001

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय पंजीयक लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दुर्ग जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़)

दुर्ग, दिनांक 8 सितम्बर 2020

प्रारूप

[देखे नियम 5 (1)]

[छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और छत्तीसगढ़ लोक न्यास नियम 1962 नियम 5 (1) के द्वारा लोक न्यास के पंजीयक दुर्ग जिला दुर्ग के समक्ष]

क्रमांक/2098/प्र.2/अ.वि.अ./2019.—यतः कि आवेदक श्रीमती प्रभा साहू पति श्री राजूलाल साहू सेटलर श्री राजीव लोचन लोक कल्याण ट्रस्ट—पता-प्लॉट नं. 41 सिंधियानगर, कालीबाड़ी मंदिर के पीछे दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) द्वारा “श्री राजीव लोचन लोक कल्याण ट्रस्ट”—पता प्लॉट नं. 41 सिंधियानगर, कालीबाड़ी मंदिर के पीछे दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) के छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदन पत्र नीचे लिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किए जाने हेतु दिया गया है, एतद्वारा सूचना पत्र जारी कर अपेक्षा की जाती है कि कथित आवेदन पत्र पर मेरे द्वारा न्यायालय में सुनवाई दिनांक 07-10-2020 को विचार किया जावेगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध व्यक्ति कोई व्यक्ति इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर मेरे समक्ष स्वयं उपस्थित होकर या अपने अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से या किसी प्राधिकार पत्र के माध्यम से अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से दो प्रतियों में लिखित अभिकथन प्रस्तुत कर सकते हैं. उपरोक्त अवधि के अवसान होने के बाद किसी भी प्रकार के आपत्ति-दावा पर कोई विचार संभव नहीं हो सकेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

1. लोक न्यास का नाम व पता :- “श्री राजीव लोचन लोक कल्याण ट्रस्ट”—पता-प्लॉट नं. 41 सिंधियानगर, कालीबाड़ी मंदिर के पीछे दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)
2. चल संपत्ति :- 11,000-00 अक्षरी - ग्यारह हजार रुपये नगद
3. अचल संपत्ति :- निरंक

खेमलाल वर्मा,

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)

एवं पंजीयक

अन्य सूचनाएं

कार्यालय सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएँ जिला-दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ. ग.)

दंतेवाड़ा, दिनांक 29 अगस्त 2020

क्रमांक/स. प. द./परिसमापन/346.—छत्तीसगढ़ सहकारी संस्थाएँ नियम 1962 के उपनियम 57 (1) (ग) के तहत परिसमापन की कार्यवाही हेतु सर्वसाधारण के लिए सूचना प्रकाशित की जाती है कि निम्नांकित सहकारी संस्थाओं के दावेदार/लेनदार अपने दावे मय लिखित में प्रमाण 60 दिन के भीतर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें. इस अवधि में पश्चात् प्राप्त होने वाले दावे मान्य नहीं होंगे तथा उपलब्ध अभिलेख एवं जानकारी के आधार पर कार्यवाही की जावेगी.

यह भी सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास निम्न संस्थाओं का रिकार्ड/संपत्ति आदि हो तो तत्काल परिसमापक को सौंप देवें अन्यथा दंडात्मक कार्यवाही के भागीदार होंगे.

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक	स्थल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	प्राथमिक माँ भवानी दुग्ध सहकारी समिति मर्या. किरंदुल	01/07-01-2000	श्रीमती शोभा बंदे, व. स. नि.	कार्यालय सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएँ दंतेवाड़ा
2.	प्राथमिक खदान मजदूर सहकारी समिति मर्या. मसेनार	413/18-11-1997	--,,--	--,,--
3.	कड़मपाल बेरोजगार सहकारी समिति मर्या. किरंदुल	38/29-12-2000	--,,--	--,,--
4.	प्राथमिक खदान मजदूर सहकारी समिति मर्या. दंतेवाड़ा	397/13-1-1997	--,,--	--,,--
5.	कड़मपाल नवयुवक बेरोजगार बहुद्देशीय सहकारी समिति मर्या. कड़मपाल	57/04-10-2018	--,,--	--,,--
6.	शहीद भगत सिंह बेरोजगार सहकारी समिति मर्या. कोडेनार	58/04-10-2018	--,,--	--,,--
7.	डॉ. अंबेडकर एन. एम. डी. सी. महिला कुटीर उद्योग सहकारी समिति मर्या. बचेली	25/03-09-2004	--,,--	--,,--
8.	प्राथमिक बहुद्देशीय बेरोजगार सहकारी समिति मर्या. गामावाड़ा	70/11-03-2011	--,,--	--,,--
9.	श्रमिक श्रम ठेका बेरोजगार सहकारी समिति मर्या. कोडेनार	72/29-11-2011	--,,--	--,,--
10.	प्राथमिक महिला शिक्षित बेरोजगार सहकारी समिति मर्या. दंतेवाड़ा	73/21-02-2012	--,,--	--,,--
11.	भारतमाता महिला औद्योगिक सहकारी समिति मर्या. किरंदुल	418/05-11-1997	महेन्द्र बंदे, व. स. नि.	--,,--
12.	प्राथमिक महिला उद्योग सहकारी समिति मर्या. दंतेवाड़ा	278/10-08-1993	--,,--	--,,--
13.	प्रगति महिला सहकारी समिति मर्या. किरंदुल	61/23-04-2009	--,,--	--,,--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
14.	खनिकर्म औद्योगिक सहकारी समिति मर्या. बचेली	654/08-11-1970	--,,--	--,,--
15.	शासकीय कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या. दंतेवाड़ा	682/07-01-1984	--,,--	--,,--
16.	माँ दंतेश्वरी आदर्श महिला बहुदेशीय सहकारी समिति मर्या. दंतेवाड़ा	60/07-01-2009	--,,--	--,,--
17.	प्राथमिक माँ शारदा युवा बेरोजगार सहकारी समिति मर्या. दंतेवाड़ा	65/28-01-2010	--,,--	--,,--
18.	प्राथमिक बस्तर बेरोजगार सहकारी समिति मर्या. कोडेनार	69/11-03-2011	--,,--	--,,--
19.	प्राथमिक श्रम ठेका सहकारी समिति मर्या. दंतेवाड़ा	80/05-05-2014	--,,--	--,,--
20.	प्राथमिक वनांचल यातायात परिवहन सहकारी समिति मर्या. समेली	81/24-05-2014	--,,--	--,,--
21.	इंजीनियरिंग वर्क्स कामगार सहकारी समिति मर्या. भांसी	17/20-06-2003	--,,--	--,,--
22.	नव युवक ट्रेवलर्स सेवा सहकारी समिति मर्या. कोडेनार, दंतेवाड़ा	19/07-08-2003	--,,--	--,,--

हस्ता./-

सहायक पंजीयक.

छत्तीसगढ़ काउंसिल आफ स्कूल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन
CHHATTISGARH COUNCIL OF SCHOOL AND PROFESSIONAL EDUCATION
लोरमी, जिला मुंगेली (छ.ग.)

फाइल संख्या /सीजीसीएसपी/समकक्षता/प्रकाशन/मई/02

मुंगेली, दिनांक 27 जून 2020

भारतीय हिन्दी एवं संस्कृत शिक्षा परिषद् के संबंध में नोटिफिकेशन

01. छत्तीसगढ़ काउंसिल आफ स्कूल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन, भारतीय हिन्दी एवं संस्कृत शिक्षा परिषद् को उनके आवेदन पर पास्परिकता के आधार पर अगले आदेश तक के लिए उनकी सेकेंडरी एवं सिनियर सेकेंडरी परीक्षाओं को समकक्षता प्रदान करती है। भारतीय हिन्दी एवं संस्कृत शिक्षा परिषद् ने अपने आवेदन में उल्लेखित किया है कि परिषद् कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, यू. एस. ए. से मान्यता है, और उसने परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दी है।

02. छत्तीसगढ़ काउंसिल आफ स्कूल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन को कोबसे मेंबर बोर्ड वनस्थली विद्यापीठ, राजस्थान एवं दयालबाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट आगरा एवं अन्य प्रचलित बोर्ड/काउंसिल/विवि द्वारा काउंसिल की सेकेंडरी एवं सीनियर सेकेंडरी परीक्षा को समकक्ष मान्य किया गया है.
03. छत्तीसगढ़ काउंसिल आफ स्कूल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन की प्रवेश एवं परीक्षा नियम 2020 एवं संबद्धता नियम 2020 एवं अन्य सभी नियम छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित हैं के अनुसार संचालित हैं.

मुंगेली, दिनांक 2 जुलाई 2020

काउंसिल में संचालित प्रोफेशनल एजुकेशन कोर्स के संबंध में नोटिफिकेशन

क्रमांक/सी.जी.सी.एस.पी.ई./2020/जुलाई/प्रकाशन/03.—छत्तीसगढ़ काउंसिल आफ स्कूल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन, में रोजगार उन्मुखी व्यावसायिक/रोजगार शिक्षा से संबंधित निम्नलिखित प्रावधान करती है :-

01. काउंसिल देशभर में जिला, तहसील एवं पंचायत स्तर में रोजगार प्रशिक्षण/कौशल प्रशिक्षण इच्छुक आवेदकों को नियमानुसार प्रदान करेगा.
02. कौशल विकास प्रशिक्षण में निम्नलिखित सेक्टर के विभिन्न प्रमाण पत्र एवं डिप्लोमा कोर्स संचालित करेगी जिसकी अवधि कम से कम 03 माह, 06 माह, 01 वर्ष एवं अधिकतम 02 वर्ष तक की हो सकेगी.
 - I. कम्प्यूटर
 - II. सिलाई, कढ़ाई, बुनाई,
 - III. ब्यूटी एवं वेलनेस,
 - IV. आटोमोबाईल रिपेयरिंग,
 - V. इलेक्ट्रीकल एवं इलेक्ट्रानिक
 - VI. मेडिकल-पैरामेडिकल, योगा, नैचरोपैथी, आर्युवेदा, इलेक्ट्रोपैथी, अल्टरनेटिव एवं अन्य
 - VII. कृषि
 - VIII. फुड प्रोसेसिंग
 - IX. मिडिया एवं इंटरटेनमेंट
 - X. टेक्सटाइल एवं हेन्डुलम
 - XI. ट्युरिज्म एवं हास्पिटलिटि
 - XII. टेलिकाम
 - XIII. रिटेल
 - XIV. एवं अन्य
03. काउंसिल प्रशिक्षण के लिए वोकेशन ट्रेनिंग सेंटर (व्ही. टी. सी.) के रूप में इच्छुक व्यक्ति एवं संस्था को आवेदन एवं शुल्क प्राप्त होने पर नियमानुसार व्यवस्था होने पर निर्धारित अवधि तक के लिए अधिकृत करेगी.
04. काउंसिल प्रशिक्षण के लिए वोकेशन ट्रेनिंग सेंटर (व्ही. टी. सी.) के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान करेगी.
05. प्रशिक्षण के लिए निर्धारित शुल्क ली जा सकेगी.
06. नामांकन एवं परीक्षा शुल्क काउंसिल को देय होगा तथा प्रशिक्षण शुल्क वोकेशन ट्रेनिंग सेंटर (व्ही. टी. सी.) को प्राप्त होगा.

07. काउंसिल एवं वोकेशन ट्रेनिंग सेंटर (व्ही. टी. सी.) केवल प्रशिक्षण प्रदान करेगी. रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी प्रदान नहीं करती है. आवेदक/प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण उपरांत रोजगार की तलाश स्वयं करेगा.
08. काउंसिल द्वारा प्रदत्त 03 माह, 06 माह, 01 वर्ष एवं 02 वर्षीय कोर्स का शासकीय नौकरी या काउंसिल में पंजीयन की गारंटी नहीं देती है. नियोक्ता रोजगार देने या ना देने के लिए स्वतंत्र होगा. साथ ही प्रमाण पत्र का शासकीय पंजीयन की गारंटी नहीं देती है. पंजीयन अधिकार स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र होगा.
09. काउंसिल केवल आवेदक के ज्ञानाजन के लिए प्रशिक्षण प्रदान करेगी किसी रोजगार की गारंटी नहीं देती है ना देगी.
10. वोकेशन ट्रेनिंग सेंटर (व्ही. टी. सी.) केवल प्रशिक्षण प्रदान करेगी प्रदान करेगी रोजगार या प्लेसमेंट की गारंटी नहीं देगी ना देती है.
11. वोकेशन ट्रेनिंग सेंटर (व्ही. टी. सी.) केवल प्रशिक्षण प्रदान करेगी प्रमाण पत्र परीक्षा उपरांत काउंसिल द्वारा जारी की जावेगी.
12. नामांकन एवं परीक्षा शुल्क काउंसिल को देय होगा तथा प्रशिक्षण शुल्क वोकेशन ट्रेनिंग सेंटर (व्ही. टी. सी.) को प्राप्त होगा.
13. काउंसिल प्रशिक्षित एवं अनुभवी आवेदको का परीक्षा लेकर उनको प्रमाण पत्र प्रदान कर सकेगा.
14. काउंसिल विभिन्न रोजगार उन्मुखी प्रोफेशनल एवं वोकेशनल प्रशिक्षण कोर्स का संचालन करेगा.
15. अन्य :-

काउंसिल कभी भी किसी भी कंडिका को हटा सकती है और कभी भी कोई नया कंडिका जोड़ सकता है. किसी भी नियम शर्त में परिवर्तन बिना किसी पूर्व सूचना एवं सुझाव आमंत्रित किये कर सकती है, जिसे सभी संबंधित व्यक्ति एवं संस्थान एवं छात्र/छात्राओं पर लागू होगा.

नोट :- किसी प्रकार के आपत्ति एवं सुझाव इस निर्देशिका के प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत कर सकते हैं, 15 दिवस के उपरांत स्वीकार नहीं किया जावेगा.

डी. पी. जोशी,
सचिव.